अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती मंगली देवी धर्मपत्नी स्व॰ श्री कान्हाराम कुलदीप जाति रेगर निवासी अमृत कालोनी ग्राम नींदड, ग्रेटर नगर निगम, वार्ड नम्बर 1, तहसील आमेर, पुलिस थाना हरमाडा, जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 पूरण मल कुलदीप पुत्र स्व॰ श्री कान्हाराम कुलदीप जाति रेगर निवासी अमृत कालोनी ग्राम नींदड, ग्रेटर नगर निगम, वार्ड नम्बर 1, तहसील आमेर, पुलिस थाना हरमाडा, जिला जयपुर ।

2 श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री पूरण मल कुलदीप जाति रेगर निवासी अमृत कालोनी ग्राम नींदड, ग्रेटर नगर निगम, वार्ड नम्बर 1, तहसील आमेर, पुलिस थाना हरमाडा, जिला जयपुर ।

3 राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.09.2022 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 08/2022 ब–उनवानी श्रीमती मंगली देवी बनाम पूरण मल कुलदीप व अन्य

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 1 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 04.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 08/2022 ब–उनवानी श्रीमती मंगली देवी बनाम पूरणमल कुलदीप व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2022 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 आदत शराबी है तथा शराब पी कर अपीलान्ट के साथ गाली गलौच व मारपीट करता है तथा लगातार हैरान व परेशान करता चला आ रहा है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 भी गाली गलौच व मारपीट में सहयोग करती है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया को वृद्वावस्था में शारीरिक व मानसिक यातनायें देने से पीड़ित होकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (क) (ख) के तहत परिवाद पेश कर प्रत्यर्थी संख्या 01 से भरण पोषण राशि 10,000/–रूपये प्रति माह तथा प्रार्थिया के पति के कय शुदा मकान से प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 को बेदखल करने तथा शान्तिपूर्वक रहने देने के लिए पाबन्द करने के लिए पेश किया था। जिसमें अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया और अन्य चाहे गये अनुताष नहीं दिये गये। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वह प्रति माह भरण पोषण के 10,000/–रूपये अदा करे एवं अपीलार्थी के पति के कय शुदा मकान से बेदखल करने के आदेश पारित करे ताकि अपीलार्थिया वृद्वावस्था में सकून से रह सके।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने लिखित बहस पेश कर उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया के 4 पुत्र व 3 पुत्रियां है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने भाई व बहिनों की शादी में बहुत सहयोग किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ट्रेवल एजेन्सी का काम करता है यदि शराब पीकर गाडी चलाता तो ट्रेवल एजेन्सी द्वारा कभी का निकाल दिया जाता व कोई दुर्घटना कारित कर चुका होता। उक्त तथ्य बिना आधार व मिथ्या है और रही बात शान्ती भंग करने की तो मुकामी पुलिस है, कार्यवाही करने को प्रत्यर्थी संख्या 1 ट्रेवल के काम में कई दिनों तक घर से बाहर रहता है तो गाली गलौच करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है और अन्य परिवारजनों का जो पीड़ित बताया है उनको पक्षकार ही नहीं बनाया और ना ही कोई शपथ पत्र इत्यादि पेश किया है। इसलिए मिथ्या व गलत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया है। वास्तविक कारण यह है कि अपीलार्थिया का बडा पुत्र महेन्द्र एम.ए., एल.एल.बी., एल.एल.एम. व एम.बी.ए. कर उच्च शिक्षित है जो बहुत ही शातिर, चालाक और पेशे से वकील भी रह चुका है। पिता जी के स्वर्गवास होने के बाद अनुकम्पा नौकरी पाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से सहमति पाने हेतु जबरदस्ती दबाव बनाने हेतु एक सहमति पत्र लेकर आया लेकिन अपीलार्थिया का पुत्र जो पेशे से वकील होने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सहमति देने से मना कर दिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कहा तो महेन्द्र कुमार आग बबूला हो गया और प्रत्यर्थी द्वारा अनुकम्पा नौकरी के सहमति पत्र पर घरवालों व रिश्तेदारों द्वारा कहने पर काफी आनाकानी करने के बाद सहमति तो दे दी लेकिन तब से ही महेन्द्र कुमार ने कुटिल व चालाकी पूर्वक मेरे से घृणा करने लगा। अपीलान्ट स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिताजी की पेंशनर है जिसकी पेंशन लगभग 25,000/–मासिक है। महेन्द्र कुमार ट्रेफिक इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत है जिसकी मासिक आय लगभभ 65,000/–रूपये है। अपीलान्ट के दोनों छोटे पुत्र वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है जिनकी मासिक आय लगभग 1,50,000 से 2,00,000/–रूपये के करीब है एवं अपीलान्ट की एक पुत्री जो अविवाहित सैकिण्ड ग्रेड की अध्यापिका है। जिसकी मासिक आय लगभग 60 से 65 हजार रूपये के करीब है । जबकि

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थी संख्या 1 बेरोजगार है जो अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करने में भी असमर्थ है। जबकि अपीलान्ट के तीन पुत्र व एक पुत्री राजकीय सेवा में है एवं अपीलान्ट स्वयं भी पेन्शनर है। तथ्यों व परिस्थितियों से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट का बड़ा पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 व मेरी पत्नी मेरे बच्चों से घृणा करता है और येनकेने प्रकारेण हम प्रत्यर्थीगण को किसी ना किसी तरह हैरान व परेशान करता रहा है और रोज शाम सुबह धमकी देता रहता है कि तुझे परिवार सहित इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अपीलान्ट का एक अन्य भू–खण्ड ग्राम खोरा बीसल में 200 वर्गगज का है उस पर भी उक्त महेन्द्र कुमार की नजर है। जो अपीलान्ट के नाम से है और जो हमारे पिता के नाम से था एक अन्य भू–खण्ड भगवान नगर, जयरामपुरा रोड जयपुर में स्थित है जो 131.000 वर्गगज का है। दोनों अपीलान्ट के नाम है। रेस्पोडेन्ट हर सम्भव हर समय अपीलान्ट की सेवा सुश्रषा करते रहते है । अपीलान्ट के बडे पुत्र महेन्द्र कुलदीप के बहकावे में आकर अपील पेश की गई है जो किसी कदर भी चलने योग्य नहीं है तथा अपील सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्लाट नम्बर 118 अमृता कालोनी ग्रेटर नगर निगम वार्ड नम्बर 1 तहसील आमेर जिला जयपुर पुलिस थाना हरमाडा अपीलान्ट के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व॰ श्री कानाराम जी को भारत सरकार द्वारा संचालित योजना इंदिरा आवास में निशुल्क आवंटित हुआ था जिसके बाद अपीलान्ट के पति कानाराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सरफेश तामीरात करवाई तथा अपीलान्ट के बड़े पुत्र महेन्द्र कुलदीप शुरू से ही शराबी व कबाबी रहा है जो कि श्री कानाराम की मृत्यु के बाद उनकी वजह अनुकम्पना नौकरी कर रहा है तथा कानाराम जी के अन्य वारिसान जिस समय मकान की तामीरात गई उस वक्त अध्यनरत थे । इसलिए उनका उक्त प्लाट की तामीरात मे कोई सहयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ड्राईवरी का काम करके बड़ी मुश्किल से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एक ग्रहणी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रेस्पोडेन्ट प्रथम श्रेणी के वारिस है जिसके अनुसार निर्वसीत सम्पत्ति में विधवा यदि 1 से अधिक विधवा हो तो सब विधवाओं को मिला कर एक अंश मिलेगा । नियम –2 किसी निवर्सीयत के जीवित पुत्र व पुत्रियों व माता हर एक को एक अंश मिलेगा। इसलिए अपीलान्ट इस भू–खण्ड को खाली कराने की अधिकारणी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दो अनुतोष चाहे है प्रथम, प्रत्यर्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वह अपीलार्थी को प्रति माह भरण पोषण के 10,000/–रूपये अदा करे। प्रत्यर्थी के पति राज्य सेवा में थे, उनके देहावसान के उपरान्त अपीलार्थी को पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा मिलती है। इसलिए अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 से भरण पोषण की राशि दिलाने का अनुतोष स्वीकार नहीं है। द्वितीय, अपने पति की सम्पत्ति अमृत कालोनी ग्राम नींदड, ग्रेटर नगर निगम, वार्ड नम्बर 1, तहसील आमेर से प्रत्यर्थीगण को बेदखली करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थिया के पति के स्वामित्व की है। जिसमें विधवा पत्नी को शान्ति पूर्वक रहने का पूरा हक है। इस अधिकरण को किसी सम्पत्ति का बंटवारा या हिस्सा तय किये जाने का अधिकार नहीं है

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

केवल माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के जीवन एव उनके हितों की सुरक्षा करना का दायित्व है। माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक के जीवन व उनके हितों की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकानसे बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थीगण को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 2 को अमृत कालोनी ग्राम नींदड, ग्रेटर नगर निगम, वार्ड नम्बर 1, तहसील आमेर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अपीलार्थी से गाली गलौच व मारपीट नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।
9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी आमेर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक **04.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner